भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 988
07.02.2020 को उत्तर के लिए

ओजोन स्तर का क्षरण

988. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई अनुसंधान अध्ययनों से यह सामने आया है कि निर्वनीकरण के कारण प्रतिवर्ष वायुमंडल में दो बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रही है जिसके परिणामस्वरूप ओजोन स्तर का क्षरण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्लेशियरों के पिघलने तथा समुद्र के जल स्तर में निरन्तर वृद्धि के कारण विभिन्न शहरों के समक्ष आने वाले खतरे/चुनौती का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ख) जी नहीं, सरकार ऐसे किन्हीं अनुसंधान अध्ययनों से अवगत नहीं है जो यह संकेत करते हों कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना संधि और ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों से संबंधित उसका मांटरीयल प्रोटोकॉल समताप मंडलीय ओजोन परत के संरक्षण हेतु उत्तरदायी है। मांटरीयल प्रोटोकॉल के तहत कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान ओजोन को समाप्त करने वाले पदार्थ के रूप में नहीं की गई है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य-योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित की जा रही है जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारि-तंत्र, सतत पर्यावास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक जानकारी के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशन शामिल हैं। एनएपीसीसी के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्त योजनाओं के लिए एक सर्वव्यापक ढांचा उपलब्ध कराया गया है।

एनएपीसीसी के तहत, राष्ट्रीय हिमालयी पारि-तंत्र संधारण मिशन का उद्देश्य हिमालयी हिमनदों और पर्वतीय पारितंत्र को संधारित करने और सुरक्षित रखने हेतु प्रबंधन उपाय विकसित करना है। इस मिशन में एक निगरानी नेटवर्क की स्थापना के माध्यम से हिमालयी पारि-तंत्र की वर्धित निगरानी, समुदाय-आधारित प्रबंधन को बढ़ावा, मानव संसाधन विकास तथा क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना शामिल हैं। सरकार, द्वारा 'हिमालयी पारि-तंत्र के संधारण हेतु प्रशासन-व्यवस्था' नामक दिशा-निर्देश जी-एसएचई तैयार किए गए हैं, जिन्हें हिमालयी क्षेत्र में सभी राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

तैंतीस राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य की कार्य-योजना तैयार की है।

सरकार, भारत के तटीय क्षेत्रों और तटीय समुदायों को संरक्षित करने हेतु सक्रिय कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जो एक सर्वव्यापक अधिनियम है, और उसके तहत जारी यथा संशोधित तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजैड) अधिसूचना सहित विभिन्न अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार विनियामक उपाय किए जाते हैं। सरकार द्वारा तट पर उच्च प्रभाव वाले कार्यकलापों को विनियमित करने तथा तटीय संधारणीयता को अनुरक्षित करने हेतु सीआरजैड अधिसूचना, 2019 और द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना, 2019 जारी की गई है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) परियोजना के तहत राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंन्द्र (एनसीएससीएम), चैन्नई द्वारा भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) के साथ समन्वय करके उच्च वियोजन वाले आकाशीय चित्रों और उपग्रह चित्रों से संगणित वार्षिक अपरदन दर के आधार पर अगले 100 वर्षों के लिए अनुमानित अपरदन रेखा को जोखिम रेखा मानचित्रण के भाग के रूप में मुख्य भूमि वाले तटीय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए संपूर्ण तटरेखा के ऊपर चित्रित किया गया है। आईसीजेडएम परियोजना में 5 तटीय क्षेत्रों नामत: कच्छ की खाड़ी (गुजरात), गोपालपुर से चिलका (ओडिशा), पाराद्वीप से धामरा (ओडिशा), दीघा से संकरपुर (पश्चिम बंगाल) और सागर द्वीप (पश्चिम बंगाल) के लिए राज्य सरकारों द्वारा तटरेखा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना शामिल है।

*****